



राजस्थान-सरकार  
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर  
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर  
☎ : 0141-2704357 ✉ : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)पार्ट-1/प्राध्यापक/2021/39695-710 दिनांक:09/12/2021  
आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राध्यापक, विद्यालय (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2018 एवं 2020 की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर निदेशालय द्वारा जारी निम्नलिखित आदेशों से नियुक्तियां प्रदान कर नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 30.11.2021 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था:-

क्र.सं.	पदनाम	आदेश क्रमांक	आदेश दिनांक
1	प्राध्यापक-हिन्दी	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37224-266	16.11.2021
2	प्राध्यापक-अंग्रेजी	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37267-311	16.11.2021
3	प्राध्यापक-व्याकरण	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37312-344	16.11.2021
4	प्राध्यापक-सा.व्याकरण	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37345-383	16.11.2021
5	प्राध्यापक-ज्योतिष	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37403-413	16.11.2021
6	प्राध्यापक-इतिहास	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37414-424	16.11.2021
7	प्राध्यापक-साहित्य	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 37384-402	16.11.2021

उपर्युक्त नियुक्ति आदेशों द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा नियत तिथि 30.11.2021 तक कार्यारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.11.2021 द्वारा कार्यग्रहण अवधि दिनांक 10.12.2021 तक बढ़ायी गई थी। दिनांक 10.12.2021 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में एक अंतिम अवसर ओर देते हुए दिनांक 17.12.2021 तक कार्यग्रहण अवधि बढ़ायी जाती है। नियत दिनांक 17.12.2021 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मूल नियुक्ति आदेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(डॉ० भास्कर शर्मा)  
संयुक्त निदेशक  
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
2. सम्बन्धित संकुल प्रभारी।
3. संस्थापन शाखा-2(ख)- निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
5. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षण पंजिका।

संयुक्त निदेशक  
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर